न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

अशोक सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह, जाति- राजपुरोहित,
निवासी- बावडी कलां, पोस्ट- फलोदी, जिला- जोधपुर
(मालिक एवं खाद्य काराबारकर्ता)
फर्मः- श्री राम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, आबूरोड, जिला- सिरोही

प्रकरण संख्याः 12/2020

''अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006''

उपस्थितिः

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी

-: निर्णय :- दिनांक 04 मार्च, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 15.10.2019 को समय 5.00 पी.एम. पर फर्म श्री राम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, आबूरोड, जिला- सिरोही पर पॅहुचा। खाद्यकारोबारकर्ता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति अशोक सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह, जाति- राजपुरोहित, निवासी- बावडी कलां, पोस्ट- फलोदी, जिला- जोधपुर है एवं फर्म श्री राम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, आबूरोड, जिला- सिरोही पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता को खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड लड्डू (वनस्पति व पॉम ऑयल से निर्मित) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड लड्डू (वनस्पति व पॉम ऑयल से निर्मित) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान के अन्दर काउन्टर में स्टील की ट्रे में मौजूद प्रोपराईटरी फूड लड्डू (वनस्पति व पॉम ऑयल से निर्मित) लगभग 5 किलोग्राम को हिला मिलाकर एक रुप किया व इस एक रुप किये हुए प्रोपराईटरी फूड लड्डू (वनस्पति व पॉम ऑयल से निर्मित) में से 2 किलोग्राम जांच हेतु एक साफ, सूखे, खाली भिगोनें में खरीदा एवं उसकी कीमत रुपये 300/- अदा की व खरीद रसीद बिल प्राप्त किया एवं फार्म संख्या 5ए तैयार किया। खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं मैनें स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता अशोक सिंह को देकर रसीद

.....पेज दो पर

प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद व फार्म संख्या 5ए न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की शीशीयां दिखाई एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक, दिनांक स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना बोतलों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं खरीद शुदा प्रोपराईटरी फूड लड्डू (वनस्पति व पॉम ऑयल से निर्मित) को चारों साफ सूखी, खाली प्लास्टिक शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा व प्रत्येक बोतले में 40-40 बूंदे फार्मेलीन की डाली तथा शीशीयों को कार्क से एयरटाईट बंद किया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-1049 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये और चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता अशोक सिंह ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियों तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा तथा फार्म संख्या 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग आउटर कवर में बंद कर गोंद से चिपकाई। नमूनें के चारो भागों एवं लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 16.10.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबुलाल, वार्ड बॉय, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 15.10.2019 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 का सील बन्द ल्फिाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड लड्डू (वनस्पति एवं पॉम ऑयल से निर्मित) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता अशोक सिंह से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड लड्डू (वनस्पति व पॉम ऑयल से निर्मित) का नमूना S-1049 अमानक पाया

....पेज तीन पर

गया। खाद्य कारोबारकर्ता अशोक सिंह को जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाई गई एवं जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच हेतु अपील आवेदन 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, लेकिन पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात एवं अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां अभियोजन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को पेश कर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। इस प्रकरण में अभियुक्त ने अमानक खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड लड्डू (वनस्पति व पॉम ऑयल से निर्मित) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत तामिल कराई गई। जिस पर दिनांक 26.2.2020 को प्रतिवादी अशोक सिंह ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें यह अंकित किया गया है कि दिनांक 15.10.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने जिस लड्डू का नमूना जांच के लिये लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। वह मेरी फर्म से लिया गया था, इस लड्डू में मैनें बेसन, वनस्पति व पॉम ऑयल का उपयोग किया था। अब मैनें बेसन, वनस्पति व पाम तेल दोनों को चेंज कर दिया है। इस प्रकरण में मेरी गलती स्वीकार करता हूँ, यह मेरी प्रथम गलती है। भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नही करुंगा। मै एक छोटा दुकानदान हूँ। मुश्किल से गुजारा होता है, इसलिये मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावे।

(3) प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 04.3.2020 को प्रतिवादी इस न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी अशोक सिंह द्वारा उक्तानुसार गलती स्वीकार कर लिये जाने से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान परिवाद में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने अमानक प्रोपराईटरी फूड लड्डू (वनस्पति व पॉम ऑयल से निर्मित) का विक्रय करके अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। अतः धारा-51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्याय निर्णयन आवेदन तथा न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.10.2019 को समय 5.00 पी.एम. पर दौरानें गश्त खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म श्री राम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, आबूरोड, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म श्री राम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, आबूरोड, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से अशोक सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह, जाति- राजपुरोहित, निवासी- बावडी कलां, पोस्ट- फलोदी, जिला- जोधपुर उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड लड्डू (वनस्पति व पॉम ऑयल से निर्मित) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म श्री राम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, आबूरोड के निरीक्षण के दौरान

.....पेज चार पर

आम जनता के उपयोग विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड लड्डू (वनस्पति व पॉम ऑयल से निर्मित) के अमानक का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता अशोक सिंह को प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त दुकान के अन्दर काउन्टर में स्टील की ट्रे में बिक्री हेतु मौजूद प्रोपराईटरी फूड लड्डू (वनस्पति व पॉम ऑयल से निर्मित) लगभग 5 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम प्रोपराईटरी फूड लड्डू (वनस्पति व पॉम ऑयल से निर्मित) को एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 300/- (अक्षरे रुपये तीन सौ मात्र) विक्रेता अशोक सिंह को नकद अदा कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए व नमूना खरीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता अशोक सिंह एवं उक्त गवाह तथा आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखे एवं खाली प्लास्टिक की बोतलें दिखाकर खरीद शुदा प्रोपराईटरी फूड लड्डू (वनस्पति व पॉम ऑयल से निर्मित) को चारों साफ सूखे, खाली प्लास्टिक बोतलों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा व प्रत्येक बोतलें में 40-40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर बोतलों को कॉर्क से एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-1049, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता अशोक सिंह एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये तथा स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1049 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धांगे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता अशोक सिंह व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता अशोक सिंह, उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत फर्म श्री राम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, आबूरोड़ जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता अशोक सिंह से खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी फूड लड्डू (वनस्पति व पॉम ऑयल से निर्मित) को नमूना जांच हेतु कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर

....पेज पांच पर

फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सिल चपडी से सिल्ड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 16.10.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री बाबुलाल, वार्ड बॉय, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा कराकर रसीद प्राप्त की। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.10.2019 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त प्रोपराईटरी फूड लड्डू (वनस्पति व पॉम ऑयल से निर्मित) का नमूना संख्या S-1049 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./828/Act/2019/939 दिनांक 06.11.2019 के अनुसार आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म श्री राम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, आबूरोड़ में खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता अशोक सिंह से वास्ते नमूना जांच कय किया गया प्रोपराईटरी फूड लड्डू (वनस्पति व पॉम ऑयल से निर्मित) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी अशोक सिंह ने अमानक प्रोपराईटरी फूड लड्डू (वनस्पति व पॉम ऑयल से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त अशोक सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह, जाति- राजपुरोहित, निवासी- बावडी कलां, पोस्ट- फलोदी, जिला- जोधपुर, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म श्री राम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड, आबूरोड़, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 20,000 /- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी अशोक सिंह पुत्र श्री गुमान सिंह, जाति- राजपुरोहित, निवासी- बावडी कलां, पोस्ट- फलोदी, जिला- जोधपुर को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.20 10:33:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: